सहशिक्षा

सहशिक्षा से अभिप्राय शिक्षा की उस व्यवस्था से है जिसमे लडके तथा लडकियाँ एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हो | इस विषय पर कि इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि नही काफी समय से चर्चा होती रही है | कुछ लोग इस व्यवस्था के पक्ष में है तथा कुछ इसके पक्ष में नही है |

इस प्रकार की चर्चा होते हुए भी , आजकल हमारे देश भारत में सहशिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है | पशिचम की देखा –देखी भारत में अब तक प्राथमिक कक्षाओ से लेकर उच्चतम कक्षाओ तक सर्वत्र सहशिक्षा का प्रचलन हो चुका है | इसके पक्षधरो का कहना था कि सह-शिक्षा कोई नई पद्धति नही है | पुरातन युग में भी आश्रमों में बालक-बालिकाएँ एक साथ विद्याध्य्यन करते थे | परन्तु आजकल पशिचम में सहशिक्षा के जो अनर्थकारी परिणाम सामने आ रहे है , भारत में भी कभी-कभी उसी तरह के परिणाम सुनाई पड़ जाते है | इसीलिए यह विषय अब विचारणीय बन गया है |

सहशिक्षा का वास्तविक उद्देश्य लडके – लडकियों को एक साथ, एक समय और एक ही स्तर की शिक्षा देकर उस असमानता एव असमंजस की स्थिति को समाप्त करना था जो भेद – भावपूर्ण जीवन- समाज में उत्पन्न हो जाया करती थी | सह-शिक्षा का मूल प्रयोजन एव उद्देश्य दोनों पक्षों को यह समझाना था कि लिंग – भेद रहते हुए भी दोनों के मन-मस्तिष्क एक समान है | दोनों के घर – परिवार और समाज में अधिकार और कर्त्तव्य भी एक समान है |

सह- शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ है कि यह संकोच की भावना की ग्रथि को समाप्त कर देती है | इससे बालक – बालिकाओ का मनोवैज्ञानिक विकास होता है | सहशिक्षा वाले विद्यालयो में अनुशासन की समस्या नही रहती | लडके-लडकियों को अपनी अच्छाई – बुराई का भली – भांति ज्ञान हो जाता है जिससे वे अपने अनुभव के आधार पर अपने मन के अनुकूल जीवनसाथी चयन करके सुख से जीवन गुजार सकते है | इसके विपरीत विरोधी पक्ष के लोग इसमें हानियों के अतिरिक्त कुछ नही मानते | वे कहते है कि यह चारित्रिक पतन की और ले जाती है | इस प्रकार युवा छात्र व छात्राओं के काफी समय एक साथ रहने

के कारण बलात्कारो की घटनाएँ बढ़ रही है | यह शिक्षा तरह तरह की कुंठाएँ भी पैदा कर रही है तथा कामुकता को भी बढ़ाना दे रही है | मनुस्मृति के अनुसार लडके- लडकियों की शिक्षा अलग –अलग होनी चाहिए | महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में सह-शिक्षा की निन्दा की है | परन्तु फिर भी आज के युग में अनेक कारणों से यह वरदान सिद्ध हो सकती है | यह दहेज-प्रथा को समाप्त करने में विशेषरूप से सहायक सिद्ध हो सकती है|